



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 256 राँची, गुरुवार,

4 मई, 2023 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

6 मार्च, 2023

संख्या-01/स्था./नियमितिकरण/25/2021/खा.आ. - 807--खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची में दैनिक पारिश्रमिक/एकमुश्त पारिश्रमिक पर नियुक्त दो कर्मियों की सेवा नियमितिकरण के निमित्त निर्गत संकल्प संख्या-806, दिनांक 06.03.2023 के आलोक में विभागान्तर्गत चालक के अनारक्षित एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध Pay Matrix Level-2 मूल वेतन रुपये 19,900 एवं अनुमान्य अन्य भत्ते के साथ औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए निम्न रूप से पदस्थापित किया जाता है-

क्र.	नाम/स्थायी पता	जन्म तिथि	कोटि	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5
1	मो. नसरुद्दीन खान पता-लोक बिहार कॉलोनी, हजारीबाग रोड, लालपुर, राँची-834001	27.06.1969	अनारक्षित	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची ।
2	श्री कार्तिक महली पता-नावाटोली सिमलिया, पोस्ट-सिमलिया, थाना-रातु, जिला- राँची-835222	14.01.1986	अनुसूचित जनजाति	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची ।

- (i) कर्मों की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जाएगा ।
- (ii) कर्मों को उनके नाम के सामने अंकित पदस्थापन कार्यालय में 30 दिनों के अन्दर योगदान देना है। उपर्युक्त निर्धारित योगदान तिथि के 30 दिनों के अंदर योगदान नहीं करने वाले कर्मों की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी। अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थिति में निर्धारित अवधि 30 दिनों के अंदर योगदान नहीं देने पर विस्तृत वस्तुस्थिति के साथ विभाग में अभ्यावेदन देना है, जिस पर सम्यक विचारोपरांत यथोचित निर्णय लिया जायोगा ।
- (iii) योगदान देते समय कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-1919, दिनांक 28.01.1976 द्वारा यथा दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र एवं अधिसूचना संख्या-5437, दिनांक 09.09.2010 एवं 9519, दिनांक 2.09.2014 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से संबंधित स्थान में योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे ।
- (iv) कर्मियों द्वारा चरित्र-पुस्ति के निर्माण हेतु शैक्षणिक योग्यता की प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां, ई-मेल आई.डी. एवं दूरभाष संख्या तथा छः पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ एक माह के अंदर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी जायेगी ।

- (v) कर्मियों द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, का प्रमाण-पत्र योगदान के समय समर्पित किया जायेगा ।
- (vi) पूर्ववृत्त एवं चरित्र प्रतिकूल प्रतिवेदित होने पर एक माह की सूचना पर सेवा समाप्त की जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र चौधरी,
सरकार के अपर सचिव ।
